SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

ग्वालियर राज्य में महिलाओं की स्थिति के उन्नयन में सिंधिया शासको का योगदान

शैलेन्द्र पाठक, (Ph.D.), इतिहास विभाग,
शासकीय छत्रसाल महाविद्यालय, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Author
शैलेन्द्र पाठक, (Ph.D.), इतिहास विभाग,
शासकीय छत्रसाल महाविद्यालय,
जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 19/09/2022
Revised on : -----
Accepted on : 26/09/2022
Plagiarism : 00% on 19/09/2022

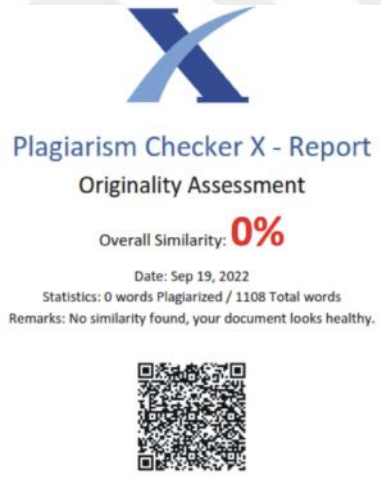

शोध सार

मध्य युग में मुस्लिम प्रभाव के कारण हिन्दु महिलाओं के दासत्व में वृद्वि करने वाली कई प्रथाए समाज में प्रचलन में आ गई जिनमें पर्दा प्रथा बाल विवाह प्रमुख थी। ग्वालियर राज्य में महिलाओं में एकान्तवास एवं पर्दा प्रथा कड़ाई से लागू किया जाने लगा। इन प्रथाओं का स्त्रियों के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। 19वी शताब्दी के पूर्वाह में ग्वालियर राज्य में बाल विवाह तत्कालीन समय में एक बुराई के रूप में उभरी थी। परन्तु तत्कालीन सिंधिया शासकों के कारण सम्पुर्ण भारत की तुलना में ग्वालियर राज्य की महिलाओं की स्थिति अच्छी थी।

मुख्य शब्द

उन्नयन, पर्दा प्रथा, महिला, सामाजिक स्थिति.

सिंधिया शासकों द्वारा स्थापित ग्वालियर राज्य मराठा राजशाही से ही अंकुरित हुआ था। मराठा राजशाही की स्थापना में चुंकि जीजाबाई की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जीजाबाई ने शिवाजी जैसे महान नायक को न केवल जन्म दिया था बल्कि एक कुशल मनोवैज्ञानिक शिक्षक की भांति भारत में एक राष्ट्रवादी एंव मात्रभूमि की रक्षा के लिए शिवाजी को शिक्षित किया था। अतः स्वभाविक रूप से मराठा शक्ति के हदृय में जीजाबाई का स्थान सर्वोच्च था जिस कारण शिवाजी महाराज ने राज्य में महिलाओं को सर्वोच्च स्थान दिया था।

निःसन्देह ग्वालियर राज्य की स्थापना उस समय हुई थी जब अंग्रेजी साम्राज्यवाद तीव्रता से विकसित हो रहा था और भरण शक्ति क्षीण हो रही थी। परन्तु राज्य के सिंधिया शासकों की महिलाओं के प्रति सम्मान की सोच एवं दृष्टिकोण मराठा शासक शिवाजी के अनुरूप थी। 20 वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में ग्वालियर राज्य में माधवराव सिंधिया प्रथम का शासन था जिसे सिंधिया

कालीन इतिहास में स्वर्णकाल भी कहा जाये तो अतिश्योक्ति नंही होगी। उन्होने राज्य में शिक्षा कला एवं साहित्य के विकास के साथ–साथ सामाजिक स्तर सुधारने के भी प्रयास किये। ग्वालियर सज्य में सती प्रथा, पर्दा प्रथा, पुर्नविवाह, अर्न्तजातीय विवाह के साथ–साथ समाज में बाल विवाह की कुप्रथा विद्यमान थी जो स्त्रियों की स्थिति में ह्रास का कारण बनी हुई थी। कम उम्र में बालिकाओं की शादी करना उनके साथ अन्याय करना था।

ब्रह्म समाज तथा आर्य समाज के नेताओ ने इस कुप्रथा का विरोध किया। विधि निर्माणो द्वारा इन कुप्रथाओ के निषिद्ध का कोई प्रावधान नहीं था। 1860 ई में पं. ईश्वरचन्द्र विद्यासागर तथा प्रगतिशील हिन्दुओ के प्रयत्नो से एक विधान निर्मित हुआ जिसके अनुसार विवाह की आयु 10 वर्ष र्निधारित की गई। महिलाओ की स्थिति सुधार की दृष्टि से तत्कालीन सिंधिया शासक ने ग्वालियर राज्य में इस अधिनियम को प्रभावशील बनाने के लिए प्रशासनिक प्रयास किये।

1921 ई. में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ जिसके अन्तर्गत 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं और 18 वर्ष से कम के बालको का विवाह निषिद्ध एवं दण्डनीय घोषित किया गया। ग्वालियर राज्य पर इस अधिनियम का प्रत्यक्ष प्रभाव पडा। राज्य के महाराज माधवराज सिंधिया ने सन् 1921 ई में मजलिस कानून की स्थापना की जिसके बाद राज्य में बाल विवाह निषेध कानुन पारित किया गया। इस कानून को पारित कर सिंधिया शासक माधवराव सिंधिया ने राज्य में महिलाओं के सामाजिक में महत्वपुर्ण योगदान दिया। मन्दिरो में वेश्यावृति की प्रथा प्रचलित थी यद्यपि इस तरह की प्रथा प्राचीन युनान में भी प्रचलित थी, इस प्रथा के उन्मूलन में लिए सिंधिया शासको ने गंभीर प्रयास किये।

सिंधिया शासक माधवराव सिंधिया प्रथम के प्रयासों से ग्वालियर राज्य में महिलाओं की स्थिति सम्पुर्ण भारत की डालना में अच्छी थी। राज्य में महिलाओं को पुरूषों के समान सामाजिक अधिकार प्राप्त थे जिसमें जीवन जीने का अधिकार, सम्पति का अधिकार एवं सामाजिक न्याय का अधिकार प्रमुख थे। ग्वालियर राज्य में सिंधिया शासको ने राज्य की महिलाओं के सामाजिक उन्नयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर महिला सम्बन्धी सामाजिक सुधार आन्दोलन की परिनिति में निर्मित अधिनियमो का राज्य में कठोरता से लागु किया जाना, उनकी महिलाओं के प्रति सामाजिक उन्नसन संवेदनशीलता का परिचायक था। ग्वालियर राज्य में गोद प्रथा यथावत रूप से संचालित रही। राज्य का कोई भी जागीरदार अपने उतराधिकारी के रूप में किसी को भी गोद ले सकता था। उसे समस्त सम्पत्ति अधिकार प्रदन्त थे। अतः संतानहीन महिला राज्य में उपेक्षित नहीं थी। समाज में ऐसा माना जाता था कि संतानोपन्ति ईश्वराधीन हैं। समाज में प्रचलित इस मान्यता का क्षेत्र भी सिंधिया शासको को जाता है। उन्होने तत्कालीन बिट्रिश साम्राज्य के गोद व्यवस्था के विरूद्ध राज्य में गोद प्रथा को संवैधानिक मान्यता प्रदान की।

सिंधिया काल में ग्वालियर राज्य में देवदासी व बहु विवाह प्रथा पूर्णतया निषेध थी जिसके कारण राज्य में महिलाओ को सामाजिक सम्मान प्राप्त था। ग्वालियर राज्य के अंतिम शासक जीवाजीराव सिंधिया ने भी राज्य में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक प्रयास किए। जीवाजीराव सिंधिया की महारानी विजयाराजे सिंधिया भी महिलाओ के जीवन स्तर सुधारने के प्रति अत्यन्त संवेदनशील थी। उनका मानना था कि राज्य में यदि एक महिला शिक्षित होगी तो एक परिवार स्वतः शिक्षित होगा, अतः प्ररूप शिक्षा की अपेक्षा महिला शिक्षा अनिवार्य की जाना चाहिए। विजयाराजे सिंधिया के उक्त विचार के अनुरूप जीवाजीराव सिंधिया ने राज्य में महिला शिक्षा पर जोर दिया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी ग्वालियर राज्य के एवं समाजिक उन्नथन के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिये। सिंधिया शासको ने अपने राज्य की सम्पत्ति को महिला शिक्षा के विकास के लिए कमलाराजे कन्या महाविघालय तथा पदमाराजे कन्या विघालय के रूप में प्रदत्त की। दोनो ही महिला शिक्षा संस्था वर्तमान में ग्वालियर में महिला शिक्षा के माध्यम से महिलाओ के सशक्तिकरण में महत्वपुर्ण योगदान दे रहे हैं।

ग्वालियर राज्य में महिलाओ की सामाजिक उन्नति एवं उन्नयन में सिंधिया शासको के योगदान का विश्लेषण करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि चूंकि सिंधिया राज्य की स्थापना मराठा राजवंश के वटवृक्ष की

शाखा के रूप में हुई थी और जिस वटवृक्ष के विकास में जीजीबाई जैसी मेघावी महिला का महत्वपूर्ण योगदान था, उन्हे राज्य में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त था। इसी अवधारणा के अनुरूप सिंधिया शासको ने ग्वालियर राज्य में महिलाओ के जीवन स्तर के उन्नयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और सदैव महिलाओ को पुरूषो के समान सामाजिक अधिकार प्रदान किये।

निष्कर्ष

सम्पूर्ण विवेचना के उपरान्त यह कहा जा सकता हैं कि ग्वालियर राज्य तत्कालीन शेष भारत में जीवन यापन कर रही महिलाओं की तुलना में एक उत्कृष्ट राज्य था जिसकी पृष्ठभूमि में सिंधिया शासको का योगदान महत्वपूर्ण था।

संदर्भ सूची

1. ग्राट डफ जेम्सक्रनिघंम, मराठो का इतिहास।
2. गौरी गुलाब स्वा, *ग्वालियर का सांस्कृतिक इतिहास।*
3. वृल एच. वी. और हवन्सर के.एन, *माधवराव सिंधिया आफ ग्वालियर।*
4. सरदेसाई गोविन्द, शोध प्रबन्ध, *मराठे का नवीन इतिहास।*
5. सिसोदिया राजेश सिंह, *सिंधिया हाराने का ग्वालियर के सास्कृतिक विकास के योगदान।*

****